

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक:-6/मुक0-109/2014 (अंश)- 2322

पटना, दिनांक:- 3.12.14

सेवा में,

महालेखाकार
बिहार, पटना।

विषय:- केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (अब राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-NRDWP) के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पूर्व के अन्तर्गत पिपरा जामसी (मांछी- अगरपुर पंचायत) ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन हेतु 65.527 लाख की राशि पर स्वीकृत योजना के अन्तर्गत योजना के किये गये कार्यों के भुगतान के लिए राज्य वार्षिक योजना के तहत अतिरिक्त 4.989 लाख (चार लाख अनठानबे हजार नौ सौ रुपये मात्र) रुपये का व्यय करने की स्वीकृति।


आदेश:-केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (अब राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-NRDWP) के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पूर्व के अन्तर्गत पिपरा जामसी (मांछी- अगरपुर पंचायत) ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन हेतु 65.527 लाख की राशि पर स्वीकृत योजना के अन्तर्गत योजना के किये गये कार्यों के भुगतान के लिए राज्य वार्षिक योजना के तहत अतिरिक्त 4.989 लाख (चार लाख अनठानबे हजार नौ सौ रुपये मात्र) रुपये का व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना की स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक- 6/त्वरित ग्रा0जला0यो0-101/2007-67, पटना, दिनांक-16.01.2008 के द्वारा 65.527 लाख रुपये पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई थी। इय योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों के भुगतान हेतु 4.989 लाख रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में लागत राशि में वृद्धि होने पर इसका वहन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत नहीं किया जाना है। इस आलोक में योजना की लागत राशि में बढ़ी हुई राशि का वहन राज्य योजना मद के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही राशि से किया जायेगा।
3. उक्त राशि का व्यय राज्य योजना मद के बजट शीर्ष- 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति, लघुशीर्ष-102- ग्रामीण जल पूर्ति- माँग संख्या- 36- उपशीर्ष-0101- ग्रामीण जलापूर्ति योजना, विपत्र कोड-P 4215011020101 राज्य योजना स्कीम कोड-PUB5350 विषय शीर्ष- 53 01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा।
4. स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पूर्व होंगे। राशि की निकासी पटना कोषागार, भागलपुर से की जायेगी। योजना पर होनेवाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।



5. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।
6. योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम4-53/2007-96 वि० (2) दिनांक- 03.01.08 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति दी जाती है।
7. वर्ष 2014-15 के वार्षिक योजना उद्ध्य एवं योजना बजट में इसके लिए प्रावधान है।
8. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 2322

पटना, दिनांक- 3.12.14

प्रतिलिपि:-

1. वित्त विभाग (बजट शाखा)/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/ भागलपुर कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, नागरिक/मुख्य अभियंता, यांत्रिक/कार्यपालक अभियंता (मो०)/उप निदेशक (मो०)/सहायक अभियंता (मो०)/कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आईटी०/मैनेजर/प्रशाखा- 6, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पूर्व को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव



अर्द्ध ए. मंजूर